उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-612/2023/सा0-858/23-01-2023-96सा0/2010

लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2023

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा-75(बी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतद्द्वारा श्री संदीप कुमार, तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के निदेशक मण्डल में निदेशक पद से पदमुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री अरविन्द कुमार जैन, वर्तमान प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के निदेशक मण्डल में निदेशक नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कामता प्रसाद सिंह

विशेष सचिव,

संख्या-612/2023/सा0-858 (1)/23-01-2023, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्म्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
10- नियुक्ति अनुभाग-1/सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
11- लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
12- गार्ड फाइल।

कामता प्रसाद सिंह

विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।